DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

20 July, 2024

संघ लोक सेवा आयोग

संदर्भ: *यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने 2029 में अपने कार्यकाल के समाप्त होने से लगभग पांच साल पहले "व्यक्तिगत कारणों" से इस्तीफा दे दिया है।*

- भूमिका: सिविल सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, रक्षा सेवा, चिकित्सा सेवा, आर्थिक सेवा, सांख्यिकी सेवा और पुलिस बलों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी।
- इतिहास: ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित। ली आयोग की 1924 की सिफारिश के आधार पर 1926 में स्थापित।
- स्वतंत्रता के बाद: भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद एक स्वतंत्र और तटस्थ निकाय के रूप में स्थापित।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 315:** संघ और भारत के राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (पीएससी) की स्थापना करता है।
- **अनुच्छेद 316:** यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का विवरण देता है।
- **अनुच्छेद 317:** यूपीएससी और एसपीएससी के सदस्यों के लिए निष्कासन और निलंबन प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
- **अनुच्छेद 318:** आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 319:** सदस्यों को उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद धारण करने से रोकता है।
- **अनुच्छेद 320:** लोक सेवा आयोगों के कार्यों को परिभाषित करता है।
- **अनुच्छेद 321:** लोक सेवा आयोगों के कार्यों के विस्तार की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 322:** लोक सेवा आयोगों के खर्चों को निर्दिष्ट करता है।
- **अनुच्छेद 323:** लोक सेवा आयोगों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है।

नियुक्ति और कार्यकाल

- **संरचना:** अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। कम से कम आधे सदस्य कम से कम दस साल के अनुभव वाले सिविल सेवक होने चाहिए।
- **सुरक्षा:** सदस्यों को नौकरी की सुरक्षा होती है और उन्हें निर्धारित संवैधानिक तरीकों के अलावा हटाया नहीं जा सकता। नियुक्ति के बाद नियम और शर्तों को बदला नहीं जा सकता।
- **पारिश्रमिक:** वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं, जो संसदीय अनुमोदन के अधीन नहीं हैं।
- **कार्यकाल:** सदस्य छह साल या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। वे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करके इस्तीफा दे सकते हैं, और उन्हें केवल दुर्व्यवहार के लिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- **वार्षिक रिपोर्ट:** यूपीएससी राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जो इसे संसद में एक ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करता है, जिसमें सिफारिशों को अस्वीकार करने के बारे में स्पष्टीकरण होता है।

यूपीएससी के कार्य

- **परीक्षाएँ:** संघ की सेवाओं और पदों के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है।
- **सलाहकार की भूमिका:** भर्ती के तरीकों, नियुक्तियों, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- **भर्ती योजनाएँ:** विशेष योग्यता की आवश्यकता वाली सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती योजनाएँ बनाने और संचालित करने में सहायता करता है।
- **परामर्श:** संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमों के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, भर्ती से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श लेना आवश्यक है।

यूपीएससी की शक्तियाँ

- सलाहकार शक्ति: यूपीएससी की मुख्य शक्ति सलाहकार है, जो राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को निम्नलिखित पर सिफारिशें प्रदान करती है:
  1. सिविल सेवा कर्मियों की नियुक्ति।
  2. नियुक्तियों, पदोन्नति या स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों के मानकों और दक्षता का मूल्यांकन।
  3. अखिल भारतीय सेवा कर्मचारियों के अनुशासन और समय की पाबंदी से संबंधित मामले।
  4. ड्यूटी पर घायल हुए अखिल भारतीय सिविल सेवा कर्मचारियों के लिए मुआवजा और लाभ।
  5. यह निर्धारित करना कि कर्मचारी के काम के लिए व्यय भारत की संचित निधि द्वारा वहन किया जाता है या नहीं।
  6. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुशासन, लापरवाही के लिए मुआवजा और दंडात्मक उपाय।

यूपीएससी की स्वतंत्रता

- **कार्यकाल की सुरक्षा:** अध्यक्ष और सदस्यों को केवल संवैधानिक रूप से निर्धारित तरीके से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- **सेवा शर्तें:** नियुक्ति के बाद अध्यक्ष या सदस्यों के नुकसान के लिए नहीं बदली जा सकतीं।
- **वित्तीय स्वतंत्रता:** वेतन और भत्ते सहित संपूर्ण व्यय भारत की संचित निधि से लिया जाता है।
- **कार्यकाल के बाद प्रतिबंध:** अध्यक्ष केंद्र या राज्य सरकारों में आगे की नौकरी के लिए अयोग्य है। सदस्यों को यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सरकारी पदों के लिए नहीं।
- **पुनर्नियुक्ति:** अध्यक्ष या सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति

संदर्भ: *सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक अभियोजन से दी गई उन्मुक्ति के मुद्दे की जांच करने पर सहमति व्यक्त की।*

- अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करता है।
- उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती।
- व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दीवानी कार्यवाही के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है।
- राज्यपाल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद अभियोजन की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं।
- राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी होने से उन्मुक्ति प्रदान करता है।
- इसमें उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन में किए गए या किए जाने का दावा किए गए किसी भी कार्य से सुरक्षा शामिल है।

अनुच्छेद 361 के मुख्य प्रावधान:

- **खंड (1):** राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए, या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उनके द्वारा किए गए या किए जाने का इरादा रखने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

- **खंड (2):** राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके पद की अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जाएगी।
- **खंड (3):** राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी प्रक्रिया उनके पद की अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय से जारी नहीं की जाएगी।
- **खंड (4):** राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत में, चाहे उनके पद ग्रहण करने से पहले या बाद में किए गए किसी भी कार्य के संबंध में राहत का दावा करने वाली सिविल कार्यवाही, उनके पद की अवधि के दौरान किसी भी न्यायालय में तब तक शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि:
  - उन्हें लिखित में दो महीने का नोटिस नहीं दिया गया हो।
  - नोटिस में कार्यवाही की प्रकृति, कार्रवाई का कारण, कार्यवाही शुरू करने वाले पक्ष का नाम, विवरण और निवास स्थान तथा पक्ष द्वारा दावा की जाने वाली राहत का उल्लेख होना चाहिए।

➢ **अनुच्छेद 361 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय**

- **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006):**
  - **उन्मुक्ति स्पष्टीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को व्यक्तिगत दुर्भावना के आरोपों पर भी पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।
- **निर्णय का दायरा:** यह निर्णय विवेकाधीन संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है, न कि आपराधिक शिकायतों से।

➢ **बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला (2017):**

- **कल्याण सिंह के विरुद्ध आरोप:** सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र के नए आरोपों को अनुमति दी।
- **परीक्षण निलंबन:** परीक्षण रोक दिया गया क्योंकि उस समय सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे, और वे अनुच्छेद 361 के अंतर्गत उन्मुक्ति के हकदार थे।
- **अवधि-पश्चात अभियोजन:** न्यायालय ने माना कि राज्यपाल के पद से हटने के बाद आरोप तय किए जाएंगे और उनका अनुसरण किया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

संदर्भ: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूलों के एक किलोमीटर के भीतर निजी स्कूलों को कमजोर वर्गों के लिए 25% कोटा से छूट देने वाली महाराष्ट्र की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

➢ **RTE कोटा छूट पर महाराष्ट्र अधिसूचना:**

- स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के लिए 25% प्रवेश कोटा के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की पहचान न करें, यदि एक किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल मौजूद है।
- सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी स्कूलों को 25% RTE कोटा से छूट दी गई है।
- निर्दिष्ट दायरे में भविष्य के निजी स्कूलों को भी छूट दी जाएगी।
- यदि कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल आस-पास नहीं है, तो RTE प्रवेश के लिए निजी स्कूलों की पहचान की जाएगी।

➢ **अन्य राज्यों के साथ तुलना:**

- **कर्नाटक:** दिसंबर 2018 में केरल के 2011 के नियमों का हवाला देते हुए एक समान नियम पेश किया।
- **केरल:** RTE कोटा के छात्रों के लिए शुल्क रियायत केवल तभी उपलब्ध है जब कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में न हो।

➢ **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएँ:**

1. **सार्वभौमिक शिक्षा:** 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
2. **कोई रोक या निष्कासन नहीं:** बच्चों को रोका नहीं जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता, या उन्हें प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होती।
3. **प्रवेश और विशेष प्रशिक्षण:** जिन बच्चों को प्रवेश नहीं मिला है या जिन्होंने 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, उन्हें उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है।
4. **आयु का प्रमाण:** आयु प्रमाण के अभाव में प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वीकार्य प्रमाण में जन्म प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित दस्तावेज शामिल हैं।
5. **पूर्णता प्रमाण पत्र:** प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र मिलेगा।
6. **छात्र-शिक्षक अनुपात:** स्कूलों को एक निश्चित छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखना चाहिए।
7. **निजी स्कूल आरक्षण:** निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए कक्षा I में 25% सीटें आरक्षित करनी चाहिए।
8. **गुणवत्ता सुधार:** उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
9. **शिक्षक योग्यता:** स्कूल शिक्षकों को पाँच साल के भीतर एक पेशेवर डिग्री प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उन्हें अपनी नौकरी खोने का जोखिम उठाना पड़ेगा।
10. **बुनियादी ढाँचा:** स्कूलों को हर तीन साल में बुनियादी ढाँचे में सुधार करना होगा या मान्यता रद्द होने का सामना करना पड़ेगा।
11. **वित्तीय जिम्मेदारी:** आरटीई अधिनियम को लागू करने का वित्तीय बोझ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

विश्व धरोहर समिति

भारत 21 जुलाई से 31 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा।

विश्व धरोहर समिति के बारे में:

- विश्व धरोहर समिति संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की एक समिति है।
- यह समिति 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाए गए विश्व धरोहर सम्मेलन को लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
- समिति विश्व धरोहर स्थलों का चयन करती है, विश्व धरोहर कोष का प्रबंधन करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है और संरक्षण प्रयासों की निगरानी करती है।
- विश्व धरोहर समिति में 21 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें उनकी महासभा द्वारा चुना जाता है।

- प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है, लेकिन अधिकांश राज्य केवल चार वर्ष तक सेवा देना चुनते हैं ताकि अन्य राज्यों को समिति में शामिल होने का अवसर मिल सके।
- भारत को 2021 में चार वर्ष के कार्यकाल (2021-2025) के लिए 21 सदस्यीय विश्व धरोहर समिति में चुना गया और यह वर्तमान में समिति में अपना चौथा कार्यकाल निभा रहा है।
- भारत के साथ ही विश्व धरोहर समिति के सदस्य देशों में अल्जीरिया, कोलंबिया, जर्मनी, जापान, मलेशिया, कतर, सेनेगल और सर्बिया शामिल हैं।
- भारत ने विश्व धरोहर सूची में 42 संपत्तियाँ अंकित की हैं जिनमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित धरोहर स्थल शामिल हैं।
- पिछले दशक में, भारत ने 12 स्थलों को जोड़ा है, जिनमें शांति निकेतन (पश्चिम बंगाल) और होयसाल के पवित्र समूह (कर्नाटक) शामिल हैं और अब इसकी विश्व धरोहर अस्थायी सूची में 57 स्थल हैं।

वाघ नख

हाल ही में, छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक वाघ नख को सातारा संग्रहालय में सात महीने के लिए प्रदर्शित किया गया है, जिसे उनके 350वें वर्षगांठ के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से लाया गया है।

वाघ नख के बारे में:

- वाघ नख, जिसे टाइगर क्लॉज भी कहा जाता है, एक मध्यकालीन हथियार है जिसमें एक दस्ताने या बार से जुड़ी हुई घुमावदार ब्लेड होती हैं, जिसका उपयोग व्यक्तिगत रक्षा और छिपे हुए हमलों के लिए किया जाता है।
- यह प्रसिद्ध रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बीजापुर अदिलशाही साम्राज्य के एक जनरल अफजल खान को मारने के लिए उपयोग किया गया था।
- यह हथियार त्वचा और मांस को आसानी से काटने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसे लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से महाराष्ट्र के लिए तीन साल की अवधि के लिए उधार लिया गया है और इसे राज्य के विभिन्न संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जा रहा है।
- यह शिवाजी महाराज की सैन्य कौशल और रणनीतिक क्षमताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में हुआ था, उन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और छत्रपति और हिंदवी धर्मोद्धारक जैसी उपाधियाँ लीं। उन्होंने आठ मंत्रियों के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, अपने राज्य को चार प्रांतों में विभाजित किया, जगीरदारी प्रणाली को समाप्त किया और रैयतवारी प्रणाली को लागू किया। 1680 में रायगढ़ में उनका निधन हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में इजरायल की उपस्थिति को अवैध घोषित किया और वेस्ट बैंक और गाजा में इसके बस्ती नीति को अवैध करार दिया।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), जिसे जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है।
- इसने अप्रैल 1946 में कार्य करना शुरू किया और इसे विश्व न्यायालय के नाम से संबोधित किया जाता है।
- यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र निकायों और विशिष्ट एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर परामर्शी राय प्रदान करता है।
- इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें नौ साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है, और यह ICJ में अपने सदस्यों के बीच भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
- ICJ में सेवा देने वाले उल्लेखनीय भारतीय न्यायाधीशों में रघुनंदन स्वरूप पाठक (1989-1991), नागेंद्र सिंह (1973-1988) और सर बेनेगल राव (1952-1953) शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है।
- ICJ की आधिकारिक भाषाएँ फ्रेंच और अंग्रेजी हैं।

प्रकाशम बैराज

हाल ही में, कृष्णा नदी पर बने प्रकाशम बैराज ने जलग्रहण क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के कारण बाढ़ में तीव्रता आई।

प्रकाशम बैराज के बारे में:

- प्रकाशम बैराज, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है।
- इसे 1954 - 1957 के बीच कृष्णा नदी पर बनाया गया था।
- इस बैराज का नामकरण राज्य के पहले मुख्यमंत्री तंगुतुरी प्रकाशम पंतलू के नाम पर किया गया था, जिन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी।
- यह कृषि के लिए कृष्णा डेल्टा को पानी मोड़ता है और विजयवाड़ा शहर को गुंटूर शहर से जोड़ने के लिए एक पुल के रूप में भी कार्य करता है।
- इस बैराज का अयाकट 13.08 लाख एकड़ है और यह एनिकट से 12 फीट ऊँचा है।
- 2009 में, बैराज ने ऐतिहासिक बाढ़ का सामना किया, जिसमें 5 अक्टूबर को अधिकतम बाढ़ प्रवाह 11,10,404 क्यूसेक था, जो बैराज के निर्माण के बाद से

दर्ज की गई सबसे ऊँची बाढ़ थी।

- कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर क्षेत्र से उत्पन्न होती है।
- यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।

नमी मापने वाला यंत्र

हाल ही में, भारत सरकार ने अनाज और तिलहन में नमी स्तर को मापने के लिए नमी मापने वाले यंत्र के लिए मसौदा नियमों पर चर्चा की।

नमी मापने वाला यंत्र के बारे में:

- नमी मापने वाला यंत्र एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न पदार्थों, विशेष रूप से अनाज और तिलहन में नमी सामग्री को मापने के लिए किया जाता है।
- यह सटीक रीडिंग प्रदान करता है जिससे वस्तुओं के संरक्षण में मदद मिलती है और खराब होने के जोखिम को कम किया जा सकता है।
- सटीक नमी रीडिंग अनाज और तिलहन के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करती है, खराब होने के जोखिम को कम करती है और भंडारण और परिवहन के लिए इष्टतम स्थिति बनाए रखती है।
- सटीक नमी मापन किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पादों के संचालन और भंडारण के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके निवेश की सुरक्षा होती है।

सुर्खियों में स्थल

ईरान

*हाल ही में, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान **"एक या दो सप्ताह"** के भीतर परमाणु हथियार के लिए विखंडनीय सामग्री का उत्पादन कर सकता है।*

ईरान (राजधानी: तेहरान)

- **स्थिति:** ईरान जिसे फारस के नाम से भी जाना जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर ईरान का इस्लामी गणराज्य कहा जाता है, पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है।
- **सीमाएँ:** ईरान की सीमाएँ पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम में तुर्की और इराक, उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर, और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से मिलती हैं।

भौतिक विशेषताएँ:

- **करून नदी** ईरान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो ज़ाग्रोस पर्वत से बहती है और कृषि गतिविधियों का समर्थन करती है।
- **माउंट दमावंद** एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे **अल्बोर्ज़ पर्वत श्रृंखला** में स्थित एक **स्ट्रैटोवोल्केनो** है।
- ईरान के पास तेल और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं।

सदस्यता:

- ईरान संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इस्लामी सहयोग संगठन, आर्थिक सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है।

POINTS TO PONDER

- किस देश ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने वाले दुनिया के पहले द्वि-टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र (TPP) की शुरुआत की है? – **चीन**
- वर्ल्डएटलस.कॉम के अनुसार, छत्तीसगढ़ में गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में कौन सी स्थिति रखती हैं? – **दूसरा और चौथा**
- हाल ही में, किसने अपने कार्यकाल की समाप्ति से लगभग पांच साल पहले संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? – **मनोज सोनी**
- हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एक रक्षा निवेश समारोह में विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया? – **नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी**
- भारत के किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में पहली फिल्म प्रोत्साहन नीति शुरू की है? – **बिहार सरकार**